[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 27th March, 2007

S.O. (E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.713(E) dated the 8th August, 1995, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, for Construction, establishment and running of 30 bed Swami Vivekananda Integrated Rural Centre for elimination of leprosy and T.B. at Pavaguda Taluk, Tumkur, Karnataka by Sri Ramakrishna Sevashram, "Radha Lakshmi Nivas", K.R. Extension, Pavagada, Tumkur, Karnataka-561202, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997 which was extended further vide notification number S.O.99(E) dated the 11th February, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.1217(E) dated the 12th December, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 and which was extended further vide notification number S.O.386(E) dated the 23rd March, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost from Rs.142.00 lakhs to Rs. 292.00 lakhs;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

(a) hereby specifies the scheme or project for Construction, establishment and running of 30 bed Swami Vivekananda Integrated Rural Centre for elimination of leprosy and T.B. at Pavaguda Taluk, Tumkur, Karnataka, which is being carried out by Sri Ramakrishna Sevashram, "Radha Lakshmi Nivas", K.R. Extension, Pavagada, Tumkur, Karnataka-561202, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2007-2008; and

(b) further amends the said notification number S.O.713(E) dated the 8th August 1995, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 2, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs.142.00 lakhs", the letters, figures and word "Rs. 292.00 lakhs" shall be substituted.

[F.No. 133/2007/ F.No. NC-274/03/2007]

J.P. Chandrakar,
Deputy Secretary (National Committee)

भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड-3 उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च,2007

सां0आ0 (अ0) जबकि आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 8 अगस्त,1995 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 713 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री रामाकृष्ण सेवाश्रम, "राधा लक्ष्मी निवास" के0आर0 एक्सटेंशन, पावागढ, टुम्कुर, कनार्टक-561202 द्वारा पावागढ तालुक, टुम्कुर कनार्टक में कुष्ठ और क्षय रोग के उन्मूलन के लिए 30 बिस्तरों वाले स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण केन्द्र के निर्माण, स्थापना एवं संचालन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 2 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 11 फरवरी,1999 की अधिसूचना सं0सां0आ0 99 (अ0) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे जिसे बाद में दिनांक 12 दिसम्बर,2001 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 1217(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 23 मार्च,2005 की अधिसूचना सं0सां0आ0 386(अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004--2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षो से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा परियोजना लागत को 142.00 लाख रूपए से बढ़ाकर " 292.00 लाख रूपए" करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम,1961 की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

(क) एतद्द्वारा रामाकृष्ण सेवाश्रम, "राधा लक्ष्मी निवास" के0आर0 एक्सटेंशन, पावागढ, टुम्कुर, कनार्टक-561202 द्वारा पावागढ तालुक, टुम्कुर कनार्टक में चलाई जा रही कुष्ठ और क्षय रोग के उन्मूलन के लिए 30 बिस्तरों वाले स्वामी विवेकानंद एकीकृत ग्रामीण केन्द्र के निर्माण, स्थापना एवं संचालन की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2007-2008 से आरंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है;

(ख) दिनांक 8 अगस्त,1995 की अधिसूचना सं0सां0आ0 713(अ0) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं0 2 के सामने धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कालम (4) में "142.00 लाख रूपए" के अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "292.00 लाख रूपए" अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(प्रा0 सं0 /33/2007/फा0 सं0 एन0 सी0-274/03/2006)

(जे0पी0चन्द्राकर)
उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)